

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- मार्च 25,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 169 वाहनों का चालान किया गया व 07 वाहनो से 5500/ रुपया शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 00 व्यक्तियों धारा 110जी जा०फौ०- में 00 के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता डमिस्ती पत्नी बृजललाल नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-67/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.राकेश पुत्र बुद्धु नि0 पुरन्दरपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-94/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. रामअवध पुत्र बगेर उर्फ सर्वजीत नि0 पुरन्दरपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-95/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

3. गंगा पुत्र लखन उर्फ सर्वजीत नि0 पुरन्दरपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-96/21 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बबलू साहनी पुत्र रामलखन नि० नरकटहा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-71/21 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अनूप चौहान पुत्र रामऔतार नि० तेनुवहिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1.50 किलोग्राम अवैध चरस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-60/21 धारा-8/22 ndps अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रवीण मेन्डल पुत्र मुरारी नि० भैरहवा थाना भैरहवा जनपद रूपनदेही नेपाली के कब्जे से 46 ग्राम अवैध हेरोईन बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-64/21 धारा-8/22/23 ndps अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

*** गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-***

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.एजाज पुत्र तैयब सा० तरकुलवा भटगावा 2. शहरे आलम पुत्र रहमतुल्लाह सा० बैजौली 3. जमशेद खान पुत्र बदरे आलम सा० बैजौली थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. राहुल शर्मा पुत्र श्रीनिवास 2. घनश्याम पुत्र हरिशचन्द्र नि०गण जोगिया 3. अरविन्द पुत्र राधेश्याम सा० बरगदवा माधोपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. दिलीप कुमार पुत्र हरिप्रसाद सा० डंडवार खुर्द 2. चन्दू उर्फ ईश्वर पुत्र राजू यादव सा० भैसहिया 3. कृष्णा गिरि पुत्र दुधनाथ सा० बारातगाडा 4. गोलू उर्फ सूरज पुत्र श्याम गुप्ता सा० सोनबरसा थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. वीर पुत्र राजेन्द्र 2. संदीप पुत्र लक्ष्मन 3. दिवाकर पुत्र सुदामा नि०गण बरईपार 4. रमाकान्त पुत्र राज सा० भोथियाही 5. साजिद पुत्र लिकायत सा० मिसकारी मोहल्ला थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 24/25-03-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-44 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।